न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां R.T.S.

मिसल नं. ::: 09/2018

सरकार बनाम हनुमान पुत्र श्रीराम, जाति– मेघवाल, निवासी– ढ़ाणी चौहान

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 29.01.2018

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसका भाई रामप्रताप उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल हनुमान पुत्र श्रीराम, जाति–मेघवाल, निवासी–ढ़ाणी चौहान द्वारा रोही मौजा ढाणी चौहान की राजकीय भूमि ख.नं. 395/56 कुल रकबा 21.85 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से 220 वर्गमीटर भूमि पर पक्का निर्माण मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसके भाई रामप्रताप ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि उक्त भूमि पर पूर्वजों के समय से ही रहता चला आ रहा है, नया कोई अतिक्रमण नही किया है। गैर सायल की ओर से उसके कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नही किया गया। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जाता सकता। चूंकि भूमि की किस्म गै. मु. जोहड़ है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/ 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाव व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन हेतु प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 9 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० लै० स० 4 के पृष्ठ सं......47........ पर
वर्ष..2017-18...में रूपये....9/-....कायम कि।
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़